

19⁶/₂₄

पञ्जाबनी पेशा हुई। वकील शर्मा अप.।
अशर्मा पेंरोकर सरकार अप.। पञ्जाबनी
व उपलब्ध रेकर्ड का मालमेल किया
गया एवं उभयपक्ष वकिलाय की बहस
सुनी गई। पञ्जाबनी पर उपलब्ध रेकर्ड
व जमाबन्दी लेख 2078-2078 में दर्ज
इ-डाज के अनुसार वाइगल शूनि प्राप्ति
खेतरनी परकर हल्ला बुला के हाल
खलरा नं. 24 रखव्य 34.10 ईष्टर
सिन्ध में. शु. मगरी लिवायच्छ दर्ज है।
उस प्रकार शर्मा ने खलरा नं. 24 में से
6 बीघा शूनि के संबंध में जो स्थान
शर्मा पर पेश किया है वह शूनि
राजकीय लिवायच्छ खाते में दर्ज है तथा
शर्मा द्वारा शूनि पर अनौर अग्रिणी
वाञ्छिज होने से TDR बानी व
उल्लेख जमिनीयों द्वारा धारा 91LR
Act के तहत कार्यवाही की जा रही
है। वर्णित शूनि राजकीय लिवायच्छ
दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला
शर्मा के पक्ष में बनना नहीं पाया
जाता है लिहाजा शर्मा द्वारा प्राप्त
खेतरनी के खलरा नं. 24 में से

पुर्वत पत्र के संलग्न नक्शों में लाल रंग से दर्शित क्षेत्र 0.96 हेक्टर के संबंध में प्रस्तुत गा.पा. अंतर्गत धारा 212 के अन्तर्गत सहायक निवेद्याला स्थापित किया जाना है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नंबर दे क्रम है।



3
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली